दिनांक 08.10.2013 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उत्तर एवं दक्षिण बिहार में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में संबंधित जिलाधिकारियों, प्रभारी प्रधान सचिवों के साथ विडियो कान्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विडियो कान्फ्रेन्सिंग में सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया गया कि कुछ दिनों से जिलाधिकारियों को जिला स्तर पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की मोनिटरिंग की जिम्मेवारी दी गयी है और मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक माह उनके साथ विडियो कान्फ्रेन्सिंग में उसकी समीक्षा की जाती रही है । विडियो कान्फ्रेन्सिंग में शुरूआत में यह पाया गया था कि जिला पदाधिकारी के इसमें शामिल होने से बिजली कम्पनी के कार्यों में अच्छी प्रगति हुई थी। किन्तु कुछ जिलों में प्रगति संतोषजनक नहीं है क्योंकि कुछ जिला पदाधिकारी विद्युत् कार्यों की समीक्षा जिला स्तर पर संतोषप्रद ढ़ंग से नहीं कर रहे हैं तथा सुधार के लिए पर्याप्त सक्रिय कार्य नहीं कर रहे हैं। बिजली कम्पनी के लगातार प्रयास से स्थितियों में व्यापक सुधार हुआ है, इसके लिए बिजली कम्पनी लगातार प्रयासरत है। जबतक खरीदी गई बिजली के हिसाब से पर्याप्त राजस्व नहीं आयेगा तब तक पर्याप्त सुधार नहीं होंगे।। बिजली आपूर्त्ति एवं राजस्व संग्रहण में तेजी लाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन की आवश्यकता है :–

1. राज्य में 2000 मेगावाट बिजली विभिन्न क्षेत्रों को आपूर्त्ति की जा रही हैं, उसकी तुलना में राजस्व की वसूली कम हो रही है। जितनी बिजली खरीद की जाती है, सरकार द्वारा बिजली कम्पनी को बिजली खरीद के मद में बड़ी राशि सब्सिडी के रूप में देनी पड़ती है। जितनी बिजली खरीद की जाती है उसके अनुपात में हमें यथेष्ट राजस्व वसूल करना होगा।
2. सभी जिला मुख्यालयों के शहर में 100 प्रतिशत मीटर रीडिंग एवं उसके अनुसार विपत्रीकरण माह अक्टूबर, 2013 में सुनिश्चित किया जाना है।
3. जले हुए/खराब ट्रान्सफॉरमर शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 72 घण्टे के अन्दर बदल दिये जायें।
4. ट्रान्सफॉरमर जलने की स्थिति अभी भी ज्यादा खराब है। वर्षा के महीने में लाईटनिंग के कारण भी काफी ट्रान्सफॉरमर जले। अगले वर्षा ऋतु के पूर्व सभी ट्रान्सफॉरमर में लाईटनिंग अरेस्टर लगा दिये जायें। ट्रान्सफॉरमर नहीं जले इसके लिए ट्रान्सफारॅमर का उचित मेंटेनेन्स किया जाय।
5. ट्रान्सफॉरमर लगाने से लेकर उसके रख–रखाव के लिए आउट–सोर्सिंग की जा सकती है या किसी एजेंसी को इसकी जिम्मेवारी दी जा सकती है।
6. जिला मुख्यालयों में दिसम्बर 2013 तक 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराया जाना है। वितरण प्रणाली के विश्लेषण करने के बाद पाया गया कि कहीं–कहीं सब–स्टेशन में constraint है, उसे दूर किया जाय ताकि उपभोक्ताओं तक Uninterrupted power supply की जा सके।
7. 16/25/40 के०वी०ए० के खराब/जले हुए वितरण ट्रान्सफॉरमर बदलने के लिए MPLADS और CMLADS के तहत प्राप्त अनुशंसाओं के आलोक में इस कार्य में तेजी लाई जाय। जिला

पदाधिकारी इसकी नियमित रुप से साप्ताहिक समीक्षा करें। जिला पदाधिकारी कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेंगे।

8. उपभोक्ताओं के यहाँ लगभग 90 प्रतिशत से अधिक मीटर अधिष्ठापन किया जा चुका है, परन्तु अभी तक सभी अधिष्ठापित मीटर बिलिंग साईकल में नहीं लाये गये हैं, अतः इन्हें बिलिंग सायकिल में लाना सुनिश्चित किया जाय। शत–प्रतिशत विपत्रीकरण एवं सभी उपभोक्ताओं को समय पर विद्युत विपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किये जायें।

9. शहरी क्षेत्र में Own Your Transformer Scheme के तहत होटलों, नर्सिंग होम, बड़े उपभोक्ताओं इत्यादि के यहाँ भुगतान के आधार पर dedicated वितरण ट्रान्सफॉरमर अधिष्ठापित किया जाना है।

10. रि–कंडक्टरिंग कार्य में अपेक्षित तेजी नहीं आई है। जिलाधिकारी रिकंडक्टरिंग की प्राथमिकता तय करेंगे तथा प्राथमिकता के अनुसार रिकंडक्टरिंग हुआ या नहीं इसकी जाँच कराकर कार्यों में तेजी लायेंगे।

11. विशेष अभियान चलाकर अक्टुबर 2013 तक बचे हुए उपभोक्ताओं का शत् प्रतिशत मीटर अधिष्ठापित करा दिया जाय।

12. दर्ज एफ.आई.आर. में गिरफ्तारी एवं जुर्माना निश्चित रूप से किये जायें। इसके लिए जिला पदाधिकारी स्तर पर प्रत्येक माह सभी थाना प्रभारी व पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा की जाय।

13. शिविर लगाकर अधिक से अधिक संख्या में नये विद्युत् उपभोक्ता बनाया जाना है।

14. सरकारी उपभोक्ताओं का अलग लेजर संधारित करने का भी निदेश दिया गया तथा सभी बकाया का जिला पदाधिकारी भुगतान सुनिश्चित करायें।

15. सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रो में आठ घण्टे विद्युत आपर्त्ति सुनिश्चित किया जाय।

16. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के लिए जहाँ विद्युत आपूर्त्ति हेतु पोल, तार, ट्रान्सफॉरमर आदि नहीं है, उसके लिए आवश्यक योजना बनायी जाय।

17. सभी जिला पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अंकित करने में बिजली सेक्टर के कार्यों की भी समीक्षा की जायेगी।

18. बिजली कम्पनी के जो अभियंता खराब परफॉरमेंस कर रहे हैं, उन पर कठोरतम अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

19. पूरे बिहार में ट्रांसफॉरमर काफी संख्या में जले हैं। अतः सभी को ध्यान देना है कि पूरे बिहार में 1 प्रतिशत से ज्यादा ट्रान्सफॉरमर न जले।

20. सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई करने हेतु निर्वाध विद्युत आपूर्त्ति की व्यवस्था के तहत उन जगहों पर सर्वप्रथम डीजल पम्प सेट की जगह विद्युत पम्प सेट उपलब्ध कराया जायेगा, जो जिला मुख्यालय के बगल में हैं एवं नहर द्वारा सिंचाई संभव नहीं है।

21. अभी तक काफी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का एम.एम.सी. पर बिलिंग किया जा रहा है, अतः विद्युत खपत के आधार पर मीटर रिडिंग कराते हुए बिलिंग किया जाय। नवम्बर 2013 तक का इस संबंध में लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

22. शहरी क्षेत्रों के सभी बड़े उपभोक्ताओं का शत–प्रतिशत बिलिंग सुनिश्चित करवायें।

विडियो कान्फ्रेंसिंग में जिला पदाधिकारियों को ऊर्जा सचिव एवं प्रबंध निदेशक, नॉर्थ तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का संक्षिप्त विवरण :

(A) विद्युत् system के रख–रखाव में तकनीकी निर्देश :

1. जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि जिले में जितने पावर allocated हैं उतने पावर drawal हो। इसके लिए ब्रेक डाउन ससमय restoration किये जायें।
2. जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए पावर ट्रान्सफॉरमर से संबंधित contraiants दूर करवाये जायें।
3. सभी ट्रान्सफॉरमर में AB Switch एवं Lightning Arrester लगाया जाना सुनिश्चित किये जायें।
4. ट्रान्सफॉरमर के उचित रख–रखाव हेतु तेल टॉप–अप, उसके earthing तथा proper fuse wire लगाना सुनिश्चित किया जाय।
5. ग्रामीण क्षेत्र के फीडर को शहरी क्षेत्र के फीडर से अलग करना सुनिश्चित किया जाय।
6. जिला पदाधिकारी फीडरवाईज राजस्व का सत्यापन करेंगे।
7. आर0जी0जी0भी0वाई 12वीं योजना के तहत डी0पी0आर0 में कोई गांव नहीं छुटना चाहिए।

(B) राजस्व संग्रहण :

1. अक्टुबर, 2013 का दोनों कम्पनी मिलाकर ₹ 400 करोड़ का लक्ष्य दिया गया।
2. राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के लिए पावर कम्पनी द्वारा अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए Performance Incentive Scheme लागू की गयी है।
3. **मीटर रीडिंग** :

(3.1) मीटर रिडिंग एवं बिल वितरण के लिए नयी दर निर्धारित की गयी है। इसे कड़ाई से लागू करायें।

(3.2) शहरी क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं की शत्–प्रतिशत मीटर रिडिंग एवं बिल डिस्ट्रीब्यूशन करवाना सुनिश्चित किया जाय।

(3.3) जिलाधिकारी मीटर रिडिंग की रैन्डम जाँच करायें। मीटर रिडिंग की इमेज सी०डी० की जाँच भी करायी जाय।

(3.4) मीटर रिडिंग एजेन्सी फीडरवार भी रखी जा सकती है। इसके लिए सिक्यूरिटी डिपोजिट भी कम कर दिया गया है।

(3.5) रुरल रेभेन्यू फ्रैन्चाईजी स्कीम 2013 के तहत गाँवों में फ्रैन्चाईजी रखा जाना है। इसके लिए व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

(3.6) मीटर रिडिंग एजेन्सी को दिये जा रहे दर का कम–से–कम 75 प्रतिशत मीटर रीडर को भुगतान किया जाना है।

(3.7) जिलाधिकारी स्तर पर होने वाली मीटर रिडिंग एजेन्सी के साथ बैठक में मीटर रीडर को भी बुलाया जाना है।

(3.8) ग्रामीण क्षेत्रों में भी 80 प्रतिशत मीटर रिडिंग एवं बिल वितरण निश्चित रूप से किया जाना है।

(3.9) जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि MMC पर बिलिंग पूरी तरह बंद किया जाय।

(3.10) विपत्र वितरण एजेन्सी द्वारा उपभोक्ताओं को विपत्र प्राप्ति का रसीद प्राप्त किया जाना है।

(3.11) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर भी मीटर रिडिंग व राजस्व संग्रहण की समीक्षा की जानी है।

4. मीटर अधिष्ठापन :

(3.1) जिला पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि सभी उपभोक्ताओं का मीटर अधिष्ठापन पूर्ण रुप से करायें।

(3.2) सभी अधिष्ठापित मीटर को billing cycle में लायें।

(3.3) G.Proforma की भी समीक्षा की जानी है। केवल बिलिंग डाटा में आये मीटर को ही मीटरीकृत (Metered) माना जायेगा।

5. राजस्व संग्रहण :

(5.1) विद्युत आपूर्त्ति की स्थिति में काफी सुधार के बावजूद राजस्व वसूली अभी भी काफी कम है इस पर काफी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि विद्युत आपूर्त्ति को sustain किया जा सके।

(5.2) उपभोक्ताओं को एयरटेल मनी के माध्यम से विद्युत् विपत्र जमा करने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाय।

(5.3) शहर के दूर–दराज में रहने वाले लोगों के लिए मोबाईल वैन के माध्यम से बिल जमा करने हेतु यह सुविधा प्रदान की गई है। इसकी जानकारी हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय।

(5.4) प्रत्येक बिलिंग एजेंसी को विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता की देख–रेख में प्रमण्डल में ही कमरा उपलब्ध कराया जाय ताकि एजेंसी को विपत्र सम्बन्धी कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। किसी प्रकार की समस्या होने पर वित्त नियंत्रक / उप महाप्रबन्धक (राजस्व) से बात करेंगे।

(5.5) जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जहाँ अभीतक सर्टिफिकेट पदाधिकारी एवं अधिवक्ता की नियुक्ति नहीं हुई है, वहाँ सर्टिफिकेट पदाधिकारी एवं अधिवक्ता नियुक्त कर दें।

(5.6) समाहरणालय से सेवानिवृत कर्मचारी जो सेवानिवृति के पूर्व सर्टिफिकेट केश का निष्पादन करते थे उन्हें कम्पनी का सर्टिफिकेट केश के रिकार्ड का रख–रखाव व अनुश्रवण हेतु नियुक्त करना है।

(5.7) कई फीडर्स / गाँव से विपत्र संग्रहण की राशि की वसूली नगण्य है। इस पर गहन समीक्षा कर राजस्व की वसूली की जाय।

(5.8) प्रत्येक जिले में विपत्र भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या काफी कम है। इसके लिए प्रखण्डवार अभियान चला कर संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता बिल का भुगतान करें।

(5.9) सरकारी बकाये की वसूली के लिए जिला पदाधिकारी अपने स्तर से बैठक कर सभी सरकारी बकायों का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।

(5.10) प्रखंड स्तर पर विद्युत् उपभोक्ता केन्द्र खोला जाना है जिसमें सरकारी सेवा–निवृत्त कर्मी को रखा जाना है। यदि कम्पनी के सेवा–निवृत्त कर्मी उपलब्ध न हो रहे हों तो सरकार के सेवा–निवृत्त कर्मी को रखा जा सकता है।

(5.11) प्रखंड कार्यालय में जगह नहीं मिलने पर उसके आसपस किराये में भी यह केन्द्र खोला जा सकता है।

(5.12) राजस्व संग्रहण कम होने की स्थिति में जिले में विद्युत् कटौती भी की जा सकती है।

6. <u>सरकारी आवास/कार्यालय में विद्युत् उपयोग</u> :

(6.1) जिन सरकारी आवासों एवं कार्यालय परिसरों में मीटर अभी तक नहीं लगाये जा सके हैं, वहाँ इस महीने के अन्त तक मीटर लगवाना सुनिश्चित करवाया जाय।

(6.2) जिला पदाधिकारी इस बात को सुनिश्चित करवायें कि सभी कर्मी कनेक्शन ले लें अन्यथा विद्युत् चोरी करने वाले दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

(6.3) जिला पदाधिकारी यह प्रमाण–पत्र सभी पदाधिकारी व कर्मचारी से ले लें कि वे कार्यालय व आवास के विद्युत् बिल का भुगतान कर रहे हैं।

(6.4) जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि सेवा–निवृत्त होने वाले कर्मचारी/पदाधिकारियों से विजली विपत्र भुगतान का रसीद अवश्य प्राप्त करें।

7. <u>नया कनेक्शन अभियान</u> :

(7.1) वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या काफी कम है। अतः नये कनेक्शन का अभियान शहरी क्षेत्र में वार्डवार चलाया जाय एवं लम्बित कनेक्शन आवेदन की समीक्षा की जाय।

(7.2) प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में भी कनेक्शन अभियान चलाया जाय।

8. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबन्धक के साथ बैठक कर उनकी शाखाओं के माध्यम से विद्युत् विपत्र जमा करवाना सुनिश्चित करवायें। जो शाखा प्रबंधक अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें पुरस्कृत भी करें।

9. विद्युत् कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को सरल करने हेतु आवेदन फॉर्म में संशोधन किया गया है। इसमें उपभोक्ता द्वारा स्वयं विद्युत् भार की घोषण करते हुए भार के आधार पर पैसा जमा करवाया जायेगा। अगले सप्ताह तक सभी जिले को नया फॉर्म उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(C) <u>विद्युत् चोरी के विरुद्ध अभियान</u> :

1. हरेक विद्युत् चोरी के मामले हेतु अलग–अलग प्राथमिकी. दर्ज हो, इसे सुनिश्चित करायें।
2. शहरी क्षेत्रों में दुकानों/प्रतिष्ठानों की जाँच विशेष रुप से करायी जाय।
3. बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए कनीय विद्युत् अभियन्ता एवं सहायक विद्युत् अभियन्ता को 25–25 तथा विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता द्वारा 15 उपभोक्ताओं का निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करायें।
4. बिजली चोरी के प्रत्येक मामले में फोटोग्राफी किया जाना है। फोटोग्राफ को प्राथमिकी में साक्ष्य के रुप में संलग्न किया जाना है।
5. जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा इस अभियान को संरक्षण एवं नेतृत्व देना है।

(D) <u>मानव संसाधन सम्बन्धी:</u>

1. कन्ट्रैक्टर, वायरमैन एवं सुपरवाईजर इत्यादि को लाईसेन्स प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे अधिक–से– अधिक संख्या में लाईसेंस प्रदान किसे जायें।
2. कई जिलाधिकारियों द्वारा जिले में लाईनमैन, एस०बी०ओ०, खलासी इत्यादि की कमी बतायी गयी थी। निर्णय लिया गया है कि आउटसोर्सिंग पर लाईनमैन, एस०बी०ओ०, खलासी इत्यादि एजेंसी के माध्यम से रखा जा सकता है। इसके लिए विद्युत् आपूर्ति अवर प्रमण्डलवार संख्या निर्धारित कर दी गई है।

(E) अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :

1. जिला स्तर पर उप समाहर्त्ता (विद्युत) को चिन्हित किया जाय ताकि दिन–प्रति–दिन के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की जाय तथा इसका अनुपालन बेहतर ढंग से की जाये।
2. ADB सम्पोषित योजना व RGGVY की समीक्षा जिला पदाधिकारी स्तर पर की जाय।
3. विद्युत् दुर्घटनाओं से बचने के लिए बचे हुए जर्जर तारों को प्राथमिकता के आधार पर बदलवायें।
4. जमीन से संबंधित लम्बित मामलों का निष्पादन शीघ्र किया जाय।
5. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ROW की समस्या को दूर कराये जायें।
6. सूखे को देखते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे बिजली आपूर्ति की जानी है। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2013 से लागू कर दी गई है। जिला पदाधिकारी समीक्षा कर 8 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करायें।
7. दिसम्बर 2013 तक सभी शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पावर ट्रान्सफॉरमर लगा दिये जायें।
8. MPLADS एवं मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत भी 16/25 के०वी०ए० ट्रान्सफॉरमर की क्षमता विस्तार की योजना की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन तेजी से हो।
9. जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया कि सांसद/विधायक क्षेत्र विकास मद से ट्रान्सफॉरमर बदलने के सम्बन्ध में प्राप्त अनुशंसा की स्वीकृति के साथ–साथ राशि ससमय उपलब्ध करा दें ताकि स्वीकृति प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर ट्रान्सफॉरमर लगा दिये जायें।
10. एस०एम०एस० मोनिटरिंग सिस्टम लागू की जा चुकी है। इसके माध्यम से कितनी बिजली आपूर्ति की जाती है, इसकी सूचना प्रत्येक घंटे मुख्यालय को प्राप्त करावें।
11. सभी विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता जिले में अधिष्ठापित जले हुए ट्रान्सफॉरमर एवं मीटर अधिष्ठापन सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिदिन उपलब्ध करायेंगे।
12. शहरी एवं ग्रामीण फीडरों को अलग करने हेतु जो भी सामान की आवश्यकता है, उसे स्थानीय भंडार से लेना है एवं आवश्यकता पड़ने पर मुख्य अभियन्ता (ओ० एवं एम०) को सामानों का माँग–पत्र भेजना है।
13. पी०एस०सी० पोल की कमी होने पर तत्काल मुख्य अभियन्ता (क्रय एवं भंडार) को सूचित करें।
14. वर्त्तमान में जिस जिलें में टी० आर० डब्लू० नहीं है वहाँ जमीन चिन्हित कर दिसम्बर 2013 तक टी० आर० डब्लू० का निर्माण कराया जाना है।
15. टी०आर०डब्लू० के ट्रान्सफॉरमर जहाँ लगाते ही एक सप्ताह के अन्दर जल गये हैं, उनकी तकनीकी रूप से जाँच परियोजना प्रबन्धक (तकनीकी सेवायें) द्वारा की जानी है।
16. सभी जिला मुख्यालयों में डिविजनल कंट्रोल रूम का निर्माण कराया जाय।
17. मुख्य अभियंता(भण्डार एवं क्रय) को निदेश दिया गया कि मेटेरियल की उपलब्धता अगले छः महीनों के हिसाब से क्षेत्रीय भंडारों में सुनिश्चित करायेंगे।

अंत में धन्यवाद सहित सभी जिला पदाधिकारियों को गहन समीक्षा कर इस क्षेत्र में सुधार लाने हेतु निदेश दिया गया।

1.11.13

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–प्र02 / विविध–वि0को0–18 / 13 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :–सभी प्रधान सचिव / सचिव / अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–प्र02 / विविध–वि0को0–18 / 13 5152 पटना, दिनांक– 11/11/13

प्रतिलिपि :–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0, पटना / प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन, पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/11/13
सरकार के अवर सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।